

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक०-690 / 15

संस्थापित दिनांक 30 / 10 / 15

फाईलिंग नम्बर 233504000542015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

रौनू पिता लक्ष्मण वटके, उम्र 49 वर्ष,
 जाति गोंड, व्यवसाय मजदूरी, नि०ग्राम खारी,
 (खारी गयावानी), तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-16 / 02 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 16/10/2015 को 16:00 बजे या उसके लगभग सरपंच मोहल्ले के चौपाल के पास खारी गयावानी, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरा को अपने आधिपत्य में रखा, जो कि म०प्र० राज्य की अधिसूचना क्र०-6312-6552(2) बी (1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आयोजकों से चर्चा के दौरान जरिये मोबाईल फोन खारी से सूचना मिली कि रौनू बटके खारी गयावानी का चौपाल के पास हाथ में लोहे का धारदार बका लेकर गदर कर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर हमराह स्टाफ बताये स्थान जाकर सूचना की तस्दीक किया जो सूचना सही पाई रौनू बटके हाथ में बका लिये मिला रंगलाल के नाम लेकर गाली गुप्तार कर रहा था। बोल रहा था उसकी रिपोर्ट कराया है जो मौके पर नाम पता पूछा जिसने अपने नाम रौनू पिता लक्ष्मण वटके नि० खारी गयावानी नाम बताया जो बका रखने के संबंध में कारण एवं लायसेंस पूछा नहीं होना बताया जो बका अवैध रूप से रखा पाये जाने एवं आरोपी रौनू का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से उपस्थिति पंचानों मंशाराम एवं बसोड़ गोंड के समक्ष 16 बजे मुताबिक जप्ती पत्रक के बका जप्त किया एवं मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 5 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 563/15 के अंतर्गत 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

दिनांक 16.10.15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक के अनुसार सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 16.10.15 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शपी-2 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

“क्या आपने दिनांक 16/10/2015 को 16:00 बजे या उसके लगभग सरपंच मोहल्ले के चौपाल के पास खारी गयावानी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरा को अपने आधिपत्य में रखा?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6- अभियोजन साक्षी ओमप्रकाश यादव (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 16/10/15 को ग्राम रतेड़ा गया था, जुरबाझाकी एवं ताजिये की जानकारी लेने तभी खारी से सूचना मिली की रानू बटके खारी गयावानी का चौपाल के पास हाथ में लिए धारदार बका लेकर गदर कर रहा और लोगों को डरा धमका रहा है सूचना पर हमराह स्टॉफ प्र0आर0 535 के बताये स्थान पर सूचना की तशदीक हेतु पहुँचा सूचना सही पाई गई रानू बटके हाथ में बका लिए मिला रंगलाल का नाम लेकर गाली गुप्तार कर रहा था। बोल रहा था कि मेरी रिपोर्ट कराया है जिसका मौके पर नाम पता पूछने पर रानू पिता लक्ष्मण बटके निवासी खारी गयावानी बताया। बका रखने के संबंध में कारण पूछा जो कुछ नहीं बता पाया अवैध रूप से बका रखे पाए जाने से रानू का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से गवाह मंशाराम एवं बसोड़ के समक्ष 16 बजे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी रानू का गिरफ्तारी पत्रक प्रपी0 2 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वाद हमराह थाना आकर अपराध क्रं. 563/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 5 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दौरान विवेचना साक्षी मंशाराम, साक्षी प्र0आर0 रेवाराम साक्षी बसोड़ पिता सूरजा के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे उसने उसके मन से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आपसी विवाद था जिसकी शिकायत आरोपी की पत्नी ने किया था।

7- आगे इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है

कि उसने अभिलेख पर रवानगी सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम खारी गयावानी गांव थाना आमला से 10 से 15 कि०मी० की दूरी पर है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त गांव में जाने के लिए आधा पौन घंटा लगता है। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि उसे 16 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती भी 16 बजे की है। अर्थात् जब इस गवाह को सूचना प्राप्त हुई थी वह गवाह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था तो ऐसी परिस्थिति में 16 बजे ही अभियुक्त के कब्जे से लोहे का धारदार छुरा की जप्ती बनाया जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, जो कि अभियुक्त के कब्जे से लोहे का छुरा की जप्ती किया जाना संदेह उत्पन्न करता है। साथ ही इस गवाह के द्वारा रवानगी और वापसी भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस गवाह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रकरण में जप्तशुदा बका की लंबाई चौड़ाई भी नहीं बताई गई है। प्रकरण में जप्त संपत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 लोहे का बका तलवार छुरानुमा की लंबाई चौड़ाई क्या थी, जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्त के कब्जे से जप्तशुदा तलवारनुमा छुरा प्रतिबंधात्मक था।

8— इस गवाह के द्वारा सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 पर नमूनाशील भी नहीं लगाई गई है। साथ ही जप्ती के स्वतंत्र साक्षी मंशाराम (अ०सा०1), बसोड़ (अ०सा०2) ने सूचक प्रश्नों में अभियुक्त के कब्जे से लोहे का एक छुरा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 2 पर एवं गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया, को अस्वीकार किया है। इस प्रकार जप्ती के स्वतंत्र गवाह, जो कि महत्वपूर्ण साक्षी होते हैं, उनके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से लोहे का बका तलवारनुमा जप्त किया, अस्वीकार किया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के कब्जे से यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि लोहे का बकानुमा छुरी की जप्ती की गई हो।

9— अभियोजन साक्षी रेवाराम (अ०सा०3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि रतेडा में एस०आई० यादव साहब के मोबाईल पर सूचना मिली कि रोनू बटके हाथ में बका लेकर गदर कर रहा है, सूचना पर खारी गयावानी पहुँचे तो पुलिस को देखकर रोनू बका छुपाने लगा जिसे पकड़कर नाम पता पूछा एवं बका रखने का वैध कारण पूछा जो कोई जवाब नहीं दिया। बका अवैध रूप से रखने का 16 बजे एस०आई० यादव साहब द्वारा बका नाप जोप कर मुताबिक जप्ती पत्रक के मौके पर उपस्थित साक्षी बसोड़ गोंड एवं मंशाराम के सामने बका जप्त किया। जबकि यह गवाह सहायक उपनिरीक्षक है जो कि पुलिस का हितबद्ध साक्षी है। जबकि जप्ती के स्वतंत्र साक्षी मंशाराम (अ०सा०1) बसोड़ (अ०सा०2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा मुख्य परीक्षा में बताए गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं माने जा सकते।

10— उर्पर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरा को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्र० 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— उर्पर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना

वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरा को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार अभियुक्त रोनू को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा एक लोहे का बका तलवार छुरानुमा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०